



कार्यालय-नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



भूमि सर्वेक्षण
निदेशालय

पत्रांक- 1744 /12-1 :देहरादून: दिनांक: 17 मार्च, 2026

सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफ0सी0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
जोरबाग रोड, अलीगंज,
नई दिल्ली।

विषय:- जनपद-पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़, जल विद्युत परियोजना के नव निर्माण हेतु 29.997 हेक्टेयर वन भूमि का यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online proposal no. FP/UK/HYD/119861/2021)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के पत्रांक सं0 8बी/यू0सी0पी0/01/81/2022/एफ0सी0/1/117349/2025 दिनांक 23.06.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 23.06.2025 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रभागीय वनधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 6436/12-1 दिनांक 03.03.2026 के द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

S.No.	Conditions	Compliance
1.	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged.	The DFO has informed that legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged (Certificated attached). (Annexure-1)
2.	The compensatory afforestation over 60.06 ha of Civil Soyam degraded land in 8 patches as mentioned in State Government letter no. 2202/12-1 dated 11.03.2025, shall be raised by the State Forest Department at the project cost within two years from the date of grant of Stage-II approval;	The DFO has informed that Compensatory afforestation work will be done in 60.06 ha including 10 year mentinence. (Annexure-2)
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required, on the CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years, into the account of National Authority, CAMPA managed by the State Government;	The DFO has informed that the user agency has deposited the amount of Compensatory afforestation of Rs. 3,26,14,802.00 in CAMPA fund online. Same has been verified in Nodal office. (According Annexure-2)
4.	The civil land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department or notified as PF under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 of local Act before handing over the forest land to the user agency. Detail of documents pertaining to transfer/mutation or notification shall be submitted to	The DFO has informed that the land for raising CA has identified jointly with Forest and Revenue Department. DM, Pithoragarh vide his office letter no, 744/7-05/2025-26 dated 13.02.2026 & 813/7-05/2025-26

	the Ministry along with the compliance of in-principle approval.	dated 25.02.2026 issued order for transferred/handed over the identified CA land to Forest department. The process of notification of mutation is under process. (Annexure-4)
5.	KML files of diverted area and the CA areas shall be uploaded on the eGreen watch portal with all requisite details prior to Stage- II approval;	All the KML of related works shall be uploaded by DFO, Pithorgarh on E-Green watch portal.
6.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC (pt.) dated 29.12.2023 in this regard.	The DFO has informed that the user agency has deposited the amount of NPV Rs. 3,20,80,892.00 in CAMPA fund online. Same has been verified in Nodal office. (Annexure-5)
7.	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	The DFO has informed that undertaking for the same is being submitted along with the compliance report.
8.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	The DFO has informed that the user agency has said that the amount will submit once, calculated and raised by DFO, Pithoragarh. (Annexure-6)
9.	The Compensatory levies to be realized from the User Agency under the project shall be transferred/ deposited, through e-challan, in to the account of National Authority, CAMPA pertaining to the State concerned through eportal (https://parivesh.nic.in/);	The DFO has informed that the Compensatory levies under the project has been transferred/ deposited, through e-challan, in to the account of National Authority, CAMPA pertaining to the State concerned through eportal by user agency. (Annexure-7)
10.	The State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted as per the sub-rule (7) of Rule 11 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 before handing over the forest land to the user agency;	The DFO has informed that undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report by the user agency. (Annexure-8)
11.	The complete compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	The DFO has informed that the user agency has said that the report is ready except point no. 14 &15 and uploaded on parivesh portal. (Annexure-9)
12.	A copy of the approved Catchment Area Treatment Plan shall be 8B/UCP/01/81/2022/FC I/117349/2025 submitted along with the compliance of in-principle approval by the State and cost of implementation shall be realised from the user agency and deposited into the account of State CAMPA managed by the National Authority, CAMPA;	The DFO has informed that is being submitted along with the compliance report. Same has been checked in nodal office. (Annexure-10)

13.	A copy of the approval obtained from the National Dam Safety Authority (NDSA) for the construction, maintenance, and operation of the proposed HEPs shall be obtained and submitted along with the compliance of in-principle approval;	The DFO has informed that is being submitted along with the compliance report, same has been checked in nodal office. (Annexure-11)
14.	Requisite statutory approval for undertaking quarrying in the area during the construction phase of the project shall be obtained from the concerned Department of the State and a copy of the same along with the Mining Plan, shall be submitted to the Ministry along with the compliance of in-principle approval;	The DFO has informed that user agency has said that the Challan fee for the quarry allotment has been submitted on 02.03.2026. After which the process of issuing LoI shall start. (Annexure-12)
15.	A muck disposal plan, approved by the competent authority in the State to ensure safe disposal of muck at the designated sites shall be submitted along with the compliance of in-principle approval;	The DFO has informed that the user agency has said that the date for joint site visit has finalized by the Mining department on 07.04.2026. After which the report shall be submit to Mining department for the approval.
16.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	The DFO has informed that undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report.
17.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	The DFO has informed that Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 has been obtained & same is attached. (Annexure-13)
18.	User agency shall provide free water for forestry related activities/ projects;	The DFO has informed that the user agency has said that at the time of construction, the provision shall be made for the same: Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report. (Annexure-14)
19.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	The DFO has informed that the user agency has said that it shall be taken care at the time of construction. Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report. (Annexure-15)
20.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	The DFO has informed that the user agency has said that it shall be taken care at the time of construction. Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report. (Annexure-16)
21.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each	The Conservator of Forests has informed that the user agency has said that it shall be done with

	inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates;	Forest Department at the time of construction. Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report. (Annexure-17)
22.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	The DFO has informed that undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report.
23.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	The DFO has informed that undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report. (Annexure-18)
24.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in 8B/UCP/01/81/2022/FC I/117349/2025 the project proposal;	The DFO has informed that undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report. (Annexure-19)
25.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	The DFO has informed that undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report. (Annexure-20)
26.	No damage to the flora, fauna or the environment of the adjoining area shall be caused; Adequate measures to ensure no damage to the adjoining areas should be taken by the User Agency at the project cost;	The DFO has informed that undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report. (Annexure-21)
27.	The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area;	The Divisional Forest Officer has informed that the project site will be regularly monitored, and various mitigation measures will be undertaken in the vicinity of the site under the CAT Plan to limit any adverse impacts resulting from the project's construction.
28.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	The DFO has informed that undertaking for the same is being submitted along with the compliance report. (Annexure-22)
29.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife shall be carried out by the State Government and User Agency;	The DFO has informed that undertaking for the same is being submitted along with the compliance report. (Annexure-23)
30.	The User Agency shall comply all the provisions of all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project; and	The DFO has informed that undertaking for the same is being submitted along with the compliance report. (Annexure-24)
31.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as	The DFO has informed that undertaking for the same is being submitted along with the

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com, Fax/☎ 05964-225234
पत्रांक: 6436/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 17 मार्च, 2028।

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी चुगाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद-पिथौरागढ़ में तटस्थील गुनरगरी अन्तर्गत प्रस्तावित सारकारी म्यूल रूपसियामगढ़, जल विद्युत परियोजना के नव निर्माण हेतु 29.997 हेक्टेयर वन भूमि का यूजेवीएन लिमिटेड को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (Online proposal no. FPP/UK/11YD/119861/2021)।

सन्दर्भ:- भारत सरकार की पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०१/८१/२०२२/एफ०सी०/१/११७३४९/२०२५ दिनांक २३.०६.२०२५।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी जो कि निम्नवत है-

S.No.	Conditions	Compliance
1.	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged.	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged (Certificated attached).
2.	The compensatory afforestation over 60.06 ha of Civil Soyam degraded land in 8 patches as mentioned in State Government letter no. 2202/12-1 dated 11.03.2025, shall be raised by the State Forest Department at the project cost within two years from the date of grant of Stage-II approval;	इस वन प्रभाग द्वारा चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 60.06 हे० क्षेत्र पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required, on the CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years, into the account of National Authority, CAMPA managed by the State Government;	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की नवीनतम प्रचलित दरों के आधार पर निर्धारित धनराशि जमा कर दी गयी है (जमा रसीद संलग्न)।
4.	The civil land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department or notified as PF under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 of local Act before handing over the forest land to the user agency. Detail of documents pertaining to transfer/mutation or notification shall be submitted to the Ministry along with the compliance of in-principle approval;	The land for raising CA has identified jointly with Forest and Revenue Department. DM, Pithoragarh vide his office letter no. 744/7-05/2025-26 dated 13.02.2026 & 813/7-05/2025-26 dated 25.02.2026 issue the instruction for the mutation of the land in the name of Forest Department
5.	KML files of diverted area and the CA areas shall be uploaded on the eGreen watch portal with all requisite details prior to Stage- II approval;	All the KML of related works shall be uploaded by DFO, Pithoragarh office to eGreen portal.
6.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC (pt.) dated 29.12.2023 in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन०पी०वी० की नवीनतम प्रचलित दरों के आधार पर निर्धारित धनराशि जमा कर दी गयी है (जमा रसीद संलग्न)।
7.	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	Undertaking for the same is being submitted along with the compliance report.
8.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	The user agency has said that the amount will submit once, calculated and raised by DFO,

9.	The Compensatory levies to be realized from the User Agency under the project shall be transferred/ deposited, through e-challan, in to the account of National Authority, CAMPA pertaining to the State concerned through eportal (https://parivesh.nic.in/);	Pilhoragarh The Compensatory levies under the project has been transferred/ deposited, through e-challan, in to the account of National Authority, CAMPA pertaining to the State concerned through eportal by user agency.
10.	The State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted as per the sub-rule (7) of Rule 11 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 before handing over the forest land to the user agency;	Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report by the user agency.
11.	The complete compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	The user agency has said that the report is ready except point no. 14&15 and it will be uploaded to parivesh portal.
12.	A copy of the approved Catchment Area Treatment Plan shall be SB/UCP/01/81/2022/FC 1/117349/2025 submitted along with the compliance of in-principle approval by the State and cost of implementation shall be realised from the user agency and deposited into the account of State CAMPA managed by the National Authority, CAMPA;	Is being submitted along with the compliance report.
13.	A copy of the approval obtained from the National Dam Safety Authority (NDSA) for the construction, maintenance, and operation of the proposed HEPs shall be obtained and submitted along with the compliance of in-principle approval;	Is being submitted along with the compliance report
14.	Requisite statutory approval for undertaking quarrying in the area during the construction phase of the project shall be obtained from the concerned Department of the State and a copy of the same along with the Mining Plan, shall be submitted to the Ministry along with the compliance of in-principle approval;	The user agency has said that the Challan fee for the quarry allotment has been submitted on 02.03.2026. After which the process of issuing LoI shall start.
15.	A muck disposal plan, approved by the competent authority in the State to ensure safe disposal of muck at the designated sites shall be submitted along with the compliance of in-principle approval;	The user agency has said that the date for joint site visit has finalized by the Mining department on 07.04.2026. After which the report shall be submit to Mining department for the approval.
16.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report.
17.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 has been obtained & same is attached.
18.	User agency shall provide free water for forestry related activities/ projects;	The user agency has said that at the time of construction, the provision shall be made for the same. Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report.
19.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	The user agency has said that it shall be taken care at the time of construction. Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report.
20.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	The user agency has said that it shall be taken care at the time of construction. Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report.
21.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates;	The user agency has said that it shall be done with Forest Department at the time of construction. Undertaking for the same is being submitted

		on along with the compliance report.
22.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report.
23.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report.
24.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in 8B/UCP/01/81/2022/FC 1/117349/2025 the project proposal;	Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report.
25.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report.
26.	No damage to the flora, fauna or the environment of the adjoining area shall be caused; Adequate measures to ensure no damage to the adjoining areas should be taken by the User Agency at the project cost;	Undertaking for the same is being submitted on along with the compliance report.
27.	The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area;	प्रभाग स्तर से परियोजना स्थल की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी, तथा परियोजना निर्माण से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को सीमित करने हेतु परियोजना स्थल के आस पास कैंट प्लानयोजना के तहत विभिन्न शमन कार्य किये जाएंगे।
28.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	Undertaking for the same is being submitted along with the compliance report.
29.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife shall be carried out by the State Government and User Agency;	Undertaking for the same is being submitted along with the compliance report.
30.	The User Agency shall comply all the provisions of all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project; and	Undertaking for the same is being submitted along with the compliance report.
31.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of Chapter 1 of consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 issued on 29.12.2023.	Undertaking for the same is being submitted along with the compliance report.

अतः उपरोक्त कम में मय संलग्नको सहित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,
(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियंता (सिविल), सारकारी म्योल रुपसियाबगढ़ परियोजना, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVN Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (जानपद) सिरकारी भ्योल रूपसीबगड़ परियोजना, तामाधार, मुनस्यारी पिथौरागड़
Office of the Executive Engineer (Civil), Sirkari Bhyol Roopsiabagar HEP, Temadhar, Munsiyari, Pithoragarh
CIN No.U40101UR2001SGC025866

**The Divisional Forest Officer,
Pithoragarh Forest Division,
Pithoragarh, Uttarakhand**

Subject: Submission of Compliance report against Forest Clearance Stage-I for the Sirkari Bhyol Rupasiabagar, Hydro Electric Project (120 MW) of UJVNL Munsiyari, Pithoragarh.

Sir,

With reference to GoU letter No. 8B/UCP/01/81/2022/FC I/117349/2025 dated 23.06.2026, kindly find enclosed herewith the Compliance report against Forest Clearance Stage-I for the Sirkari Bhyol Rupasiabagar Hydro Electric Project (120 MW) of UJVNL Munsiyari, Pithoragarh for your kind perusal and further necessary action.

Enclose: - as above

Digitally signed by
CHARU LOHANI
Date: 28-02-2026
16:55:15

**(Charu Lohani)
Executive Engineer (Civil)**

Copy to the following for kind information and further necessary action:

1. General Manager (SHP), UJVNL Dehradun.
2. Dy. General Manager (Civil), UJVNL Munsiyari, Pithoragarh.

Compliance Report for

**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**


बिन्दु संख्या 01

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित 29.997 हेक्टेयर वन भूमि में परियोजना विकासकर्ता (अभिकरण) द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग केवल परियोजना के निर्माण हेतु ही किया जायेगा व अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।


अधिकासी अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड
अधिकासी अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 02

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में त तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित 29.997 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तान्तरण के बदले 60.06 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य वन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा परियोजना की वन स्वीकृति (स्टेज-2) के दो वर्षों के अन्दर कर लिया जायेगा।



अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड,
अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 03

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ में तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित 29.997 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तान्तरण के बदले 60.06 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण के कार्य की लागत क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अनुसार प्रचलित दरों के अनुसार एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्थायी पिल्लरों की स्ीपना हेतु धनराशि विकासकर्ता द्वारा वन विभाग का अग्रिम रूप में जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य दस वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में स्वादेशी प्रजातियों के वृक्षारोपण का भी सम्मिलित किया जायेगा। जिसके तहत कार्यों की लागत में वृद्धि हेतु उचित प्राविधान कर धनराशि को राज्य सरकार द्वारा संचालित कैम्पा राष्ट्रीय प्राधिकरण रख लिया जाय।

अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड
अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

बिन्दु संख्या 04

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या-8 B/UCP/01/81/2022/FC I/117349/2025 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत सिरकारी भ्यूल रूपसियावगड़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 29.997 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 60.000 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 एवं वन संरक्षण एवं संवर्द्धन नियमावली 2023 के नियम 13(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत सिरकारी भ्यूल रूपसियावगड़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 29.997 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम साईपोलो, पट्टी लीलम, तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-24 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 175 रकवा 0.447 हे०, 261 रकवा 0.383 हे०, 426 रकवा 1.826 हे०, 1844 रकवा 1.104 हे०, 2052 रकवा 0.525 हे०, 2061 रकवा 0.305 हे०, 2088 रकवा 2.634 हे० कुल 07 खेतों की 7.224 हे०, ग्राम साईभाट, पट्टी लीलम, तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-02 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 2903 रकवा 1.022 हे०, 2960 रकवा 3.183 हे०, 4798 रकवा 0.501 हे०, 4859 रकवा 1.003 हे०, 6092 मध्ये रकवा 0.270 हे०, 6566 रकवा 0.755 हे०, कुल 06 खेतों की 6.734 हे० एवं ग्राम पांतो, पट्टी लीलम, तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-18 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 129 मध्ये रकवा 0.203 हे०, 145 रकवा 2.758 हे०, 1980 रकवा 1.630 हे०, 2032 रकवा 0.866 हे०, 2044 रकवा 0.307 हे०, 2045 रकवा 1.249 हे०, 2047 रकवा 0.617 हे०, 2073 रकवा 0.927 हे०, 2084 रकवा 1.161 हे०, 2270 रकवा 0.501 हे०, 2580 रकवा 1.374 हे०, 2590 रकवा 2.506 हे०, 2598 मध्ये रकवा 1.925 हे०, कुल 13 खेतों की 16.039 हे० इस प्रकार उक्त 03 ग्रामों के 26 खेतों की 29.997 हे० समतुल्य सिविल/गैर वन भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, मुनस्यारी स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक फरवरी, 12, 2026

(आशीष कुमार भटगाई)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या-744 / सात-05 / 2025-26

दिनांक फरवरी, 13, 2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी मुनस्यारी।
4. अधिशासी अभियन्ता, यू.जे.बी.एन.एल. पिथौरागढ़।
5. तहसीलदार मुनस्यारी को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करते हुये अनुपालन से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

विभाग JII
पत्रावली संख्या 05
वर्ष 2025-26
क्रमांक 01
दिनांक संख्या 3415
13/02/26

(आशीष कुमार भटगाई)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

LAND TRADING

अधिशासी अभियन्ता (ज्ञानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि० वि०वि०एन०लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या-8 B/UCP/01/81/2022/FC I/117349/2025 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 29.997 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 60.060 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 एवं वन संरक्षण एवं संवर्द्धन नियमावली 2023 के नियम 13(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यालय आदेश संख्या-744/सात-05/2025-26 दिनांक 13.02.2026 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 29.997 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम साईपोलो, पट्टी लीलम, तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-24 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के 07 खेतों की 7.224 हे०, ग्राम साईभाट, पट्टी लीलम, तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-02 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के कुल 06 खेतों की 6.734 हे० एवं ग्राम पांतो, पट्टी लीलम, तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-18 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के कुल 13 खेतों की 16.039 हे० इस प्रकार उक्त 03 ग्रामों के 26 खेतों की 29.997 हे० समतुल्य सिविल/गैर वन भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपन्त भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या-8B/UCP/01/81/2022/FCI/117349/2025 दिनांक 23.06.2025 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही 29.997 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व स्वीकृत 29.997 हे० गैर भूमि के अतिरिक्त अवशेष 30.063 हे० गैर वन भूमि (दोगुनी भूमि) निम्नानुसार वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खाता संख्या	भूमि की श्रेणी/ गैर जमींदारी विनाश खतौनी	खसरा नम्बर	रकवा (हे०)
1	2	3	4	5	6	7
1	मुनस्यारी	पातो	18	श्रेणी 9 (3) ङ बंजर काबिल आवाद	34	1.96
2					127	0.69
3					129 म०	0.464
4					131	0.201
5					135	0.144
6					157	0.075
7					180	1.38
8					198	0.539
9					425	0.436
10					729	1.001
11					731	1.359
12					831	1.239
13					959	1.068
14					2007 म०	0.003
15					2011	0.184
16					2564	0.006

क्रमशः.....2 पर

Compliance Report for

**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

-2-

1	2	3	4	5	6	7
17	मुनस्यारी	पातो	18	श्रेणी 9 (3) ङ बंजर काबिल आबाद	2082	0.569
18					2087	0.105
19					2276	0.115
20					2441	0.106
21					2448	0.178
22					2452	0.136
23					2566	0.033
24					2568 म०	1.232
25					2570 म०	0.032
योग					25 खेत	13.255
1	मुनस्यारी	साइपोलू	24	श्रेणी 9 (3) ङ बंजर काबिल आबाद	4	0.204
2					55	0.291
3					57	0.146
4					78	0.256
5					122	0.179
6					162	0.331
7					194	0.106
8					197	0.195
9					201	0.202
10					288	0.275
11					290	0.252
12					321	0.202
13					358	0.24
14					389	0.101
15					391	0.477
16					416 म०	0.067
17					419	0.398
18					420	0.357
19					422	0.302
20					424	0.425
21					503	0.185
22					508	0.43
23					529	0.176
24					533	0.808
25					555	0.106
26					621	0.361
27					1105	0.164
28					1107	0.272
29					1110	0.104
30					1442	0.205
31					1444	0.093
32					1577	0.236
33					1698	0.071
34					1747	0.184
35					1755	0.109
36					1758	0.074
37					1826	0.166
38					1841	0.194

LAND TRA SEDHANTIK

क्रमशः.....3 पर

अधिसासी अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, २०१०/२०११/२०१२/२०१३/२०१४/२०१५/२०१६/२०१७/२०१८/२०१९/२०२०/२०२१/२०२२/२०२३/२०२४/२०२५
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

-3-

1	2	3	4	5	6	7
39	मुनरस्यारी	साईपोलू	24	श्रेणी 9 (3) ड बंजर काबिल आबाद	1869	0.044
40					2003	0.32
41					2059	0.327
42					2063	0.295
योग					42 खेत	9.930

1	2	3	4	5	6	7
1	मुनरस्यारी	साइभाट	02	श्रेणी 9 (3) ड बंजर काबिल आबाद	115	0.245
2					139	0.203
3					141	0.438
4					563	0.524
5					660	0.335
6					706	0.345
7					3071	0.071
8					3123	0.049
9					3126	0.05
10					3174	0.074
11					3286	0.699
12					4413	0.454
13					4491	0.059
14					4526	0.086
15					4549	0.034
16					4555	0.015
17					4556	0.026
18					4557	0.014
19					4558	0.023
20					4559	0.026
21					4570	0.221
22					4575	0.093
23					4805	0.028
24					4817	0.113
25					6097	0.018
26					6100	0.124
27					6092 म०	0.258
28					6105	0.074
29					6130	0.078
30					6198	0.189
31					6560	0.219
32					6574	0.059
33					6586	0.023
34					6588	0.024
35					6595	0.045
36					6599	0.014
37					6897	0.063
38					6907	0.251
39					6978	0.488
40					7080	0.200
41					7907	0.526
योग					41 खेत	6.878
सम्पूर्ण योग					108 खेत	30.063

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

-4-

तहसीलदार, मुनस्यारी अब स्वीकृत की जा रही ग्राम पातो के 25 खेतों की 13.255 हे०, ग्राम साईपोलू के 42 खेतों की 9.930 हे० एवं ग्राम साईभाट के 41 खेतों की 6.878 हे० इस प्रकार उक्त 03 ग्रामों की कुल 108 खेतों की 30.063 हे० राज्य भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक फरवरी 25, 2026

(आशीष कुमार भटगाई)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 813 /सात- 05 /2025-26

दिनांक फरवरी, 25, 2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी मुनस्यारी।
4. अधिशासी अभियन्ता, यू.जे.बी.एन.एल. पिथौरागढ़।
5. तहसीलदार मुनस्यारी को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करते हुये अनुपालन से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(आशीष कुमार भटगाई)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

VII
संख्या 05
दिनांक 2025-26
पृष्ठ 02
पृष्ठ संख्या 3756
दिनांक 25/02/26

आधिशासी अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ़।

Compliance Report for

**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**


बिन्दु संख्या 06

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित 29.997 हेक्टेयर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य का भुगतान, सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 202/1995 में दिनांक 28.03.2008, 24.04.2008 एवं दिनांक 09.05.2008 को दिये गये निर्णय एवं मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-3/2007-FC(dt) दिनांक 29.12.2023 के अनुसार किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त प्रमाणित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की अतिरिक्त धनराशि, यदि अवधारित की जाती है तो उसका भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जायेगा।



अधिसासी अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड

अधिसासी अभियन्ता (जानपद)
सि० भ्यो० रूप० परि० यूजे० वि० एन० लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 08

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण के समय परियोजना विकासकर्ता (अभिकरण) द्वारा वन भूमि में पेड़ों के पातन को न्यूनतम रखा जायेगा एवं वन प्रस्ताव में आंकलित प्रभावित होने वाले 104 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं वृक्षों का पातन राज्य सरकार के सख्त पर्यवेक्षण में काटे जायेंगे। प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा वन विभाग को वृक्षों के पातन में होने वाले व्यय की राशि अग्रिम रूप में जमा करायी जायेगी।



अधिकासी अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड

अधिकासी अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 09

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित (29.995 है०) वन भूमि में परियोजना विकासकर्ता द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आंकलित धनराशि को परिवेश ई-पोर्टल (<http://parivesh-nic-in>) के माध्यम से कैम्पा राष्ट्रीय प्राधिकरण में जमा करा दिया गया है।


अधिशारी अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल-रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड
अधिशारी अभियन्ता (जानपद)
सि० भ्यो० रूप० परि०, यू० जे० वि० एन० लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

AGENCY COPY

Union Bank of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 12-12-2025

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	UJVN LTD
PIF/Application No.	56119861069
MoEF/SG File No.	8B/UCP/01/81/2022/FC
Address.	General Manager (Civil - New Projects) Dehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	ee.sbr.ujvn@gmail.com 9456590022 135-2531700
Amount(in Rs)	284545694/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: Twenty-Eight Crore Forty-Five Lakh Forty-Five Thousand Six Hundred and Ninety-Four Rupees Only

Depositor Signature
(Signature)

Sr. Accounts Officer
UJVN Limited
Pithoragarh

Bank Official
(Signature)

Bank's Transaction Number Pithoragarh (UK)	Branch Stamp
---	--------------



- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

अधिसासी आधिकारी (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०सू०जे०वि०एन०लि०
मुनस्वारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 10

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित (29.995 है०) वन भूमि में परियोजना विकासकर्ता द्वारा एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।


अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड
अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुन्स्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 11

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित (29.995 है0) के हस्तान्तरण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक संख्या 23.06.2025 के द्वारा प्रेषित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या ई—पोर्टल ([https:// parivesh.nic.in](https://parivesh.nic.in)) पर अपलोड की जा चुकी है।


अधिशायी अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड
अधिशायी अभियन्ता (जानपद)
सि0भ्यो0रूप0परि0, यू0जे0वि0एन0लि0
मुन्स्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

बिन्दु संख्या 12



कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: pccproject-forest-uk@nic.in

पत्रांक- 740 / 3-19 देहरादून, दिनांक 19 मई, 2025

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2025 को आहूत
जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित कैट-प्लान की समीक्षा/स्वीकृति हेतु बैठक का
कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री नरेश कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड (वी0सी0 के माध्यम से)।
2. श्री सुशांत कुमार पटनायक, मुख्य वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड।
3. डॉ0 धीरज पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड/वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त।
4. सुश्री कहकशा नसीम, वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
5. श्री आशुतोष सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
6. श्री अभिमन्यु, प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी।
7. श्री डी0पी0 बलूनी, प्रभागीय वनाधिकारी, टौस वन प्रभाग, पुरोला (वी0सी0 के माध्यम से)।
8. श्री इन्द्र मोहन सिंह करारी, महाप्रबन्धक, यू0जे0वि0एन0 लि0, त्यूनी-प्लासू एवं आराकोट-त्यूनी ज0वि0परि0।
9. श्री गिरीश जोशी, अधिशासी अभियन्ता, यू0जे0वि0एन0 लि0, त्यूनी-प्लासू ज0वि0परि0।
10. श्री राजीव अग्रवाल, डी0जी0एम0, यू0जे0वि0एन0 लि0, सिरकारी-भ्योल रूपसियाबगढ़ ज0वि0परि0।
11. श्री चारु लोहानी, अधिशासी अभियन्ता, यू0जे0वि0एन0 लि0, सिरकारी-भ्योल रूपसियाबगढ़ ज0वि0परि0।
12. डॉ0 विमल कुमार, सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड।
13. श्री जितेन्द्र रावत, पर्यावरण विशेषज्ञ, यू0जे0वि0एन0 लि0, सिरकारी-भ्योल रूपसियाबगढ़ ज0वि0परि0।

सर्वप्रथम, मुख्य वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सिलकारी-भ्योल रूपसियाबगढ़ जलविद्युत परियोजना (120 मेगावाट), जिला पिथौरागढ़ तथा त्यूनी-प्लासू जलविद्युत परियोजना (72 मेगावाट) जिला देहरादून का निर्माण उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम द्वारा प्रस्तावित है, जिसके सम्बन्ध में पर्यावरणीय स्वीकृति व वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसार स्वीकृति की प्रक्रिया गतिमान है। कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम द्वारा उक्त जलविद्युत परियोजना से सम्बन्धित तैयार किये गये कैट प्लान को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के स्तर से परीक्षणोपरांत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों से प्राप्त हुये है, जिसके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव है कि सम्बन्धित कैट प्लानों की घटकवार समीक्षा करते हुये कैट प्लान का अनुमोदन प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड महोदय द्वारा किया जाय। मुख्य वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड द्वारा उक्त जलविद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुये कैट प्लान के उद्देश्य, प्रभाव व अनुश्रवण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 29.03.2025 को प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित स्त्रीनिंग कमेटी की बैठक में उक्त परियोजनाओं से सम्बन्धित कैट प्लानों की परीक्षण/समीक्षा करते हुये कतिपय बिन्दुओं के सम्बन्ध में सुझाव/निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा कैट प्लान में संशोधन कर कैट प्लान प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं जिसका अनुमोदन अपेक्षित है। तदोपरान्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड महोदय द्वारा उक्त जलविद्युत परियोजनाओं के कैट प्लान से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ व प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी को अपने-अपने कैट प्लान के प्रस्तुतिकरण हेतु निर्देशित किया गया है तथा विशेष रूप से यह भी इंगित किया गया कि दिनांक 29.03.2025 को स्त्रीनिंग कमेटी द्वारा सुझाये गये/निर्देशित बिन्दुओं को प्रस्तुतिकरण के दौरान अवगत कराया जाय।

सिरकारी-भ्योल रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना के कैट प्लान

प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा इस परियोजना से सम्बन्धित कैट प्लान के प्रस्तुतिकरण करते हुये निम्नानुसार मुख्य बिन्दुओं से अवगत कराया गया :-

Page 1 of 6

अधिशासी अभियन्ता (जानपद)
सि0भ्योलरूप0परि0, यू0जे0वि0एन0लि0
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

- सिरकारी-भ्योल रूपसियाबगढ जल विद्युत परियोजना जनपद पिथौरागढ अंतर्गत गौरी गंगा नदी पर प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट है। यह रन आफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है।
- इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा कुल 30 हे० वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावित है।
- इस जल विद्युत परियोजना का कैट प्लान काली नदी के कैचमेंट एवं गौरी गंगा नदी के जलागम एवं उप-जलागम क्षेत्र के अन्तर्गत है। निर्माण कार्य के स्थल से 10 कि०मी० परीधि के अंतर्गत क्षेत्र को कैट प्लान में उपचार हेतु उपयुक्त क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।
- इस जल विद्युत परियोजना के कैट प्लान अन्तर्गत 04 सूक्ष्म जलागम (रालम गाड़, जौलछिड़ गाड़, पिलथी एवं पहल गाड़) क्षेत्र है। इस कैट प्लान अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी के पिथौरागढ वन प्रभाग का क्षेत्र है।
- इस जल विद्युत परियोजना की कुल लागत ₹ 879.43 करोड है। परियोजना के कैट प्लान की लागत ₹ 21.985 करोड है, जो कि परियोजना की कुल लागत का 2.5 प्रतिशत है।
- इस जल विद्युत परियोजना से 19 राजस्व ग्राम प्रभावित होंगे।
- इस जल विद्युत परियोजना के कैट प्लान का क्षेत्रफल 60036 हे० है, तथा उक्त क्षेत्र के सापेक्ष उपचारित किये जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 1621 हे० है।
- कैट प्लान भारत सरकार के पत्रांक- F.No.Z-11011/13/2019-PPC दिनांक 09.06.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है, जो Guidelines for New Generation Watershed Development Project (WDC-PMKSY 2.0) से सम्बन्धित है।
- कैट प्लान में प्रस्तावित कार्यों की कार्य अवधि 05 वर्ष है।
- कैट प्लान के तैयारी फेज घटक के अध्ययन एवं अनुसंधान उपघटक के अंतर्गत हिम तेदुआ एवं हिमालय भालू के प्राकृतिक आवास एवं स्वभाव पर अध्ययन हेतु प्रस्तावित है।
- कैट प्लान के अंतर्गत आजीविका संवर्द्धन हेतु मशरूम उत्पादन, मौन पालन तथा कौशल विकास कार्यशाला गतिविधियां सम्मिलित है।
- कैट प्लान के अंतर्गत घटक/उपघटकवार प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य निम्न तालिका अनुसार है :-

सिरकारी-भ्योल रूपसियाबगढ जल विद्युत परियोजना के कैट प्लान में प्रस्तावित बजट का विवरण				
S. No.	Heads	Sub Heads	Budget Amount (Rs. In lakh)	Percentage of Budget
1	Administrative (12%)	Management Cost	219.85	10
		Monitoring & Evaluation	43.97	2
			263.82	12
2	Preparatory Phase (6%)	Entry Point activity	43.97	2
		DPR Preparation	21.99	1
		Institution & Capacity Building	65.96	3
			131.91	6
3	Works Phase (79%)	Natural Resource Management	1033.30	47
		Production System	329.78	15
		Natural Resource Management & Governanc	43.97	2
		Livelihood Acitivities for the assest less persons, Micro Enterprises & Business Development	329.78	15
			1736.82	79
4	Consolidation & Withdrawal Phase (3%)		65.95	3
Total			2198.50	100

अधिशासी अधिकारी (जानपद)
 सि०भ्यो०रूप०पा००, यू०जे०वि०एन०लि०
 मुनस्यारी, पिथौरागढ


Compliance Report for


Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

उक्तानुसार किये गये प्रस्तुतिकरण के क्रम में विस्तृत विचार-विमर्श उपरांत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड महोदय द्वारा निम्न निर्देशों के साथ उक्त कैट प्लान को स्वीकृति प्रदान की गयी :-

1. कैट प्लान के क्रियान्वयन की अवधि भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines for New Generation Watershed Development Projects WDC-PMKSY 2.0 दिशा-निर्देशों के अनुसार 05 वर्ष प्रस्तावित की गयी है। अतः तदर्थ कैम्पा में कार्यदायी संस्था के स्तर से धनराशि जमा करते ही कैट प्लान की डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं वृक्षारोपण हेतु पौध उगान की तैयारी कर ली जाय तथा जिस वर्ष प्रभाग द्वारा अग्रिम मृदा कार्य आरम्भ किया जाये, उसी वर्ष को कैट प्लान का प्रारम्भ वर्ष मानते हुए समस्त कार्य नियत अवधि में समाप्त किये जायें।
2. कैट प्लान की डी0पी0आर0 बनाने हेतु उक्त कार्यों में अनुभवी संस्था का ही चयन किया जाये ताकि प्रस्तावित कार्यों की डुप्लीकेसी (दोहराव) न हो पाये। उक्त के अतिरिक्त डी0पी0आर0 तैयार करते समय बेसलाइन डेटा (आधारभूत डेटा) को डी0पी0आर0 में सम्मिलित किया जाये ताकि योजना के मध्यावधि एवं समाप्ति पर प्रस्तावित गतिविधियों से हुये परिवर्तन (जल स्रोत में वृद्धि, भू-क्षरण में कमी, जैव-विविधता एवं जनसमुदाय के आय आदि में परिवर्तन) के आंकलन में आसानी हो। यह अत्यंत आवश्यक है कि कैट प्लान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्भावित Quantifiable एवं Observable Outcome Based Parameters को चिह्नित कर नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय।
3. कैट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित आजीविका गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु लाइन डिपार्टमेंट से भी समन्वय स्थापित किया जाये ताकि उक्त विभागों में क्रियान्वित घस्यारी योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आदि से भी Dovetailing किया जा सके।
4. कैट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित आजीविका गतिविधियों हेतु आजीविका कार्यों में दक्ष स्थानीय एन0जी0ओ0 से भी आवश्यकता अनुसार सहयोग लिया जाये ताकि उक्त कार्यों के उद्देश्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति हो सके।
5. कैट प्लान के वर्क फेज घटक के प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन उपघटक अंतर्गत वन पंचायत क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार सोलर पावर प्लान्ट, सोलर वाटर पम्प आदि लगायें जाये।
6. कैट प्लान से सम्बन्धित कार्यों की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत best work practices व best quality planting material को अपनाया जाय जिसकी समीक्षा नियमित रूप से मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय।
7. कैट प्लान के अंतर्गत हरितिमा में वृद्धि तथा आजीविका से सम्बन्धित कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय तथा विभिन्न समीक्षा बैठक/अन्य फोरम में यथाआवश्यकता अनुसार कैट प्लान के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ायी जाय।

बैठक के अंत में समस्त अधिकारियों का धन्यवाद कर बैठक की समाप्ति की गयी।

अनुमोदित,

(डा० धर्मजय मोहन)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।


(सुशांत कुमार पटनायक)
मुख्य वन संरक्षक,
परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आधिशाली अ. (जानपद)
सि०ध्यो०रूप०परि०यू०जे०वि०एन०लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

/1/2025-P&R Wing NDSA-MOWR

I/123189/1

- c) Quality Assurance Plan (QAP) submitted by UJVNL seems to be in order and ensure to be implemented holistically. Also, UJVNL will hire expert agency (NCBBM/CSMRS) as an independent third-party quality control monitoring mechanism, will ensure compliance with relevant regulations of NDSA in respect of quality control.
- d) Regarding liquefaction analysis of barrage foundation, it is noted that barrage area is not entirely free from liquefaction susceptibility, based on geophysical (MASW-HVSR) and geotechnical investigations, as well as evaluation using the shear wave velocity approach. At the tender stage, provisions such as permeation grouting and replacement of the top layer with processed and compacted material have been considered.

Further, as informed, based on detailed investigations, additional and/or refined mitigation measures would be adopted at the construction stage. Further, as clarified vide letter dated 09.01.2026, the tender for appropriate additional investigation works is invited and under ready to award conditions. The scope of work under this tender is very comprehensive covering scope for additional bore holes, in-situ tests, laboratory tests on rock samples, safe bearing capacity at barrage location, soil resistivity testing, sieve analysis and shear strength parameters, land slide susceptibility mapping, SPT in barrage etc.

The recommended measures shall be taken at the construction stage to ensure safety of the barrage structure. NDSA directs UJVNL not to dilute this commitment and ensure its compliance in totality.

- e) The Instrumentation Plan submitted by UJVNL is considered by NDSA and also commitment of hiring an expert agency for further review and technical support to ensure adequacy of existing plan for number of instruments, data observation, storage and data analysis coupled with 7 years post installation O&M warranty. Compliance to NDSA Regulations issued under the Sections(32), Section(33), and Section (34) of the Dam Safety Act to be ensured.

3. NDSA accords conditional concurrence to above cited project subject to conditions to ensure strict compliance to above point no. 2(b), 2(c), 2(d) and 2(e) at construction stage. Any non-compliance to this commitment may result non-compliance to statutory obligation of the dam owner under Section (29) of the Dam Safety Act 2021. This conditional concurrence is based on commitment and compliance to be done by UJVNL, keeping in view required optimisation in time and resources concurrently by UJVNL proceeding for stage-II forest clearance from MoEF&CC.

पहली तल वेस्ट ब्लॉक-II, सेक्टर-1
आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
फोन - 011-29583749
ई-मेल - dirpr-ndsa@gov.in

1st Floor, West Block-II, Sector 1,
R.K.Puram, New Delhi 110066
Tel. 011 29583749
Email : dirpr-ndsa@gov.in

आयशासिका (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०पा०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुनस्वारी, पिधौरागढ़

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

बिन्दु संख्या 14

Mining

Challan of Rs 2.0 Lac for fees against Rock Quarry

Challan of Rs 1.0 Lac for fees against Quarry site 1

Challan of Rs 1.0 Lac for fees against Quarry site 2

Challan of Rs 1.0 Lac for fees against Quarry site 3

अधिसासी (जानपद)
 सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
 मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
न्यू टकाना कालोनी, निकट शिवमन्दिर, पिथौरागढ़।

पत्रांक: 135/1/भूखनि0वि0पि0/खनन पट्टा आवेदन/2025-26.

दिनांक 02.02.2026.

सेवा में,

अधिरासी अभियन्ता,
यूजेवीएन लिमिटेड,
सिरकारी भ्योल रूपसीबागड़ परियोजना, तामाधार,
तामाधार मुनस्यारी, पिथौरागढ़।

विषय- यूजेवीएनएल की सिरकारी भ्योल रूपसियाबागड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 120 मेगावाट) के निर्माण चरण के दौरान क्षेत्र में उत्खनन कार्य करने के लिये आवश्यक वैधानिक अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- पत्र संख्या-UJVN-D(P)0GMCS(EESP)/11/2023-e-office-ujvn Limited i/241500/2026.
दिनांक 13.01.2026

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 28-01-2026 के द्वारा सन्दर्भित पत्र संख्या-UJVN-D(P)0GMCS(EESP)/11/2023-e-office-ujvn Limited i/241500/2026 दिनांक 13.01.2026 के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ अर्न्तगत प्रस्तावित सिरकारी भ्योल रूपसियाबागड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 120 मेगावाट) के निर्माण के दौरान उपयोगार्थ प्रस्तावित क्वारी साइटों की वैधानिक अनुमोदन हेतु आवेदन शुल्क एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0-977/VII-A-1/ 2023-24-ख/2007 देहरादून दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली-2023 समय-समय पर यथासंशोधित वर्तमान में प्रचलित नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत आपके द्वारा वॉछित खनन पट्टा चाहने हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल के अनुरूप निर्धारित शुल्क एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं का विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	उपखनिजों का खनन पट्टा/खदान क्वारी का विवरण	प्रस्तावित क्षेत्रफल (है0 में।)	आवेदन शुल्क का विवरण (घनराशि रू0 में)	वॉछित खनिजों हेतु वर्तमान में निर्धारित स्वामित्व(रायल्टी)दर/टन
1.	नदी तल अवस्थित निजी/राजस्व/वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनिज (आर0बी0एम0) का खनन पट्टा चाहने हेतु	0.294	1.00 लाख	उत्तराखण्ड उपखनिज(परिहार)(तृतीय संशोधन) नियमावली,2025 (छायाप्रति संलग्न) प्रथम अनुसूची के नियम-18 विन्दु-9 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र हेतु रू0- 7.00/ कुन्तल तथा रू0- 3.00/ कुन्तल अतिरिक्त शुल्क
		0.382	1.00 लाख	
		1.906	1.00 लाख	
उत्तराखण्ड उपखनिज(परिहार)(तृतीय संशोधन) नियमावली,2025 में प्रथम अनुसूची नियम-18 के विन्दु-10 के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं सहित समस्त प्रकार की खनन अनुज्ञाओं हेतु (साधारण मिट्टी को छोड़कर) स्वामित्व दर रू0. 7. 00/ कुन्तल तथा रू0- 7.00/ कुन्तल अतिरिक्त शुल्क निर्धारित है।				
2.	स्वस्थाने चट्टान प्रकृति (निजी के उपखनिज क्षेत्रों) का खनन पट्टा चाहने हेतु	2.509	2.00 लाख 05 है0 तक तथा 05 है0 से अधिक हेतु रू0. 5.00 लाख निर्धारित	उत्तराखण्ड उपखनिज(परिहार)नियमावली,2023 (छायाप्रति संलग्न) प्रथम अनुसूची के नियम-18 विन्दु-5 के अनुसार रू0-350/ टन तथा विन्दु-6 के अनुसार रू0-88.50 /टन निर्धारित है।

e

(जनपद)
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
न्यू टकाना कालोनी, निकट शिवमन्दिर,
पिथौरागढ़

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025


-2-

उत्तराखण्ड उपखनिज(परिहार)नियमावली,2023 समय-समय पर यथासंशोधित नियमावली में प्रथम अनुसूची(नियम-18) बिन्दु-10 के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं सहित समस्त प्रकार की खनन अनुज्ञाओं हेतु (साधारण गिट्टी को छोड़कर) स्वामित्व दर रू०. 7.00/कुन्तल तथा रू०- 7.00/ कुन्तल अतिरिक्त शुल्क निर्धारित है।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड उपखनिज(परिहार)नियमावली,2023 समय-समय पर यथासंशोधित के प्राविधानों के अर्न्तगत स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं में वर्तमान में प्रथम अनुसूची (नियम-18) में उपरोक्तानुसार प्रचालित स्वामित्व (रायल्टी) दरों के अनुसार रायल्टी का निर्धारण तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1,देहरादून की अधिसूचना संख्या-96/VII-A-1/23-24 ख/2007 टी०सी० दिनोंक 20 जनवरी, 2023 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित प्राविधानानुसार रायल्टी का 10 % क्षतिपूर्ति शुल्क, 15 % जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि, 02 % स्टाम्प शुल्क तथा खनन पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों/कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित/अनुमति प्राप्त क्षेत्र से निकाले गये अथवा उपभोग किये गये किसी भी खनिज की उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (समय-समय पर यथासंशोधित) की प्रथम अनुसूची के अनुसार रायल्टी के 05 प्रतिशत के बराबर घनराशि साउथ इण्डियन बैंक, शाखा देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के नाम से खोले गये बचत खाता संख्या-0471053000004941, आई०एफ०एस०सी०कोड-SIBL0000471 बैंक खाते में जमा कराया जाता है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप खनन पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों/कार्यदायी संस्थाओं को रायल्टी एवं अन्य शुल्क की निर्धारित दरों का भुगतान किया जाना आवश्यक होता है।

अतः उक्त के क्रम में आपके कार्यालय के पत्र दिनोंक 28-01-2026 में वॉछित सूचना तथा सन्दर्भित पत्र संख्या-UJVN-D(P)0GMCS(EESP)/11/2023-e-office-ujvn Limited i/241500/2026 दिनोंक 13.01.2026 के क्रम में इस कार्यालय को प्रेषित शुल्क रहित अपूर्ण आवेदन पत्र (एम०एम०-01) मूल में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया जनपद पिथौरागढ़ अर्न्तगत प्रस्तावित रिसकारी म्योल रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 120 मेगावॉट) के निर्माण के दौरान उपयोगार्थ प्रस्तावित क्वारी साइटों हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज(परिहार)नियमावली,2023 के अध्याय-2 नियम-6 के प्राविधानानुसार एम०एम०-1 में आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के चालानों तथा वॉछित समस्त अगिलेखों के साथ 06 प्रतियों में (01 मूल प्रति सहित) पृथक-पृथक आवेदन पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मयंक आर्या)
प्रभारी जिला खान अधिकारी,
पिथौरागढ़।

संख्या एवं दिनोंक उपरोक्तानुसार-
प्रतिलिपि,निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित-

- 1- महाप्रबन्धक,यूजेवीएन लिमिटेड,प्रगतिपुरम,ऋषिकेश देहरादून।
- 2- उप महाप्रबन्धक,यूजेवीएन लिमिटेड मुनस्यारी पिथौरागढ़।

(मयंक आर्या)
प्रभारी जिला खान अधिकारी,
पिथौरागढ़।

अधिकारी (विद्युत) (जानपद)
पि०ध्व०रूप०परि०यूजेवीएन०लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

प्रेषक

अपर निदेशक / संयोजक तकनीकी समिति,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड
"खनिज भवन" भोपालपानी देहरादून।

सेवा में

1. जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOEF),
उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रमुख मुख्य अभियन्ता,
सिन्धु विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. उपमहा प्रबन्धक (जा0),
यू0जे0वी0एन0एल0, कार्यालय उप महाप्रबन्धक
(जानपद) मुख्यालय मुनस्यारी जिला
पिथौरागढ़।

संख्या: 7102 / सं0नि0आ0 / अ0नि0 / भू0खनि0निदे0 / रे0वि0नि0 / 2025-26,

दिनांक 28 फरवरी, 2026

विषय: यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) निगमावली 2021 के प्राविधानानुसार प्रस्तुत आवेदन पत्र की स्थलीय जाँच के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड भोपालपानी देहरादून के पत्र संख्या 6130 / उप0ख0(ईनि)-V / भू0खनि0नि0 / 2025-26 दिनांक 22 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा जिसके द्वारा उप महाप्रबन्धक (जा0) यू0जे0वी0एन0एल0 कार्यालय उपमहाप्रबन्धक (जानपद) मुख्यालय मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़ के पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2026 की उपायप्रति मयसंलग्नक करते हुए उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र का तकनीकी समिति से स्थलीय निरीक्षण कराते हुए संयुक्त निरीक्षण आख्या मय अभिलेखो सहित निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अवगत कराना कि उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2026 के साथ संलग्न उप महाप्रबन्धक (जा0) यू0जे0वी0एन0एल0 कार्यालय उपमहाप्रबन्धक (जानपद) मुख्यालय मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़ के पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2026 के अनुसार ग्राम सिरकारी भ्योल तहसील मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़ की परियोजना निर्माण / टनल एवं Opent Excavation से निकलने वाले मक की आंगणित मात्रा 858793 घनमीटर में से सुरंग के निर्माण कार्य में उपयोगार्थ उपखनिज की मात्रा 429398 घनमीटर उपयोगी मक को परियोजना कार्य में प्रयोग किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जिसकी स्थलीय जाँच की जानी प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र की संयुक्त जाँच हेतु दिनांक 07 अप्रैल, 2026 को समय 11.00 बजे की तिथि निर्धारित की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड भोपालपानी देहरादून के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2026 एवं उप महाप्रबन्धक (जा0) यू0जे0वी0एन0एल0 कार्यालय उपमहाप्रबन्धक (जानपद) मुख्यालय मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़ के पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2026 के अनुपालन में उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) निगमावली 2021 के अध्याय-तीन के नियम 8(6) के प्राविधानानुसार उक्त क्षेत्र की संयुक्त जाँच हेतु कृपया अपन स्तर से किसी अधिकारी को नामित करते हुए संयुक्त जाँच हेतु उक्त निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

(अनिल कुमार)

अपर निदेशक / संयोजक तकनीकी समिति,

संख्या: / सं0नि0आ0 / अ0नि0 / भू0खनि0निदे0 / रे0वि0नि0 / 2025-26

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी देहरादून।
2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त स्थल की संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि को विभागीय सर्वेक्षक के साथ ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

(अनिल कुमार)

अपर निदेशक / संयोजक तकनीकी समिति,

आधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सि0भ्यो0रूप0परि0, यू0जे0वी0एन0एल0
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी,
देहरादून।

सेवा मे,

अपर निदेशक/संयोजक तकनीकी समिति,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी,
देहरादून।

संख्या

/उप0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0नि0/2025-26,

दिनांक 22 जनवरी, 2026

विषय:-

यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के प्राविधानानुसार प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उपमहाप्रबंधक (जा0) यू0जे0वी0एन0एल0, कार्यालय उपमहाप्रबंधक (जानपद), मुख्यालय मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़ के पत्र दिनांक 07.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के प्राविधानानुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल क्षेत्र ग्राम सिरकारी भ्योल, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ की परियोजना निर्माण/टनल एवं Open Excavation से निकलने वाले मक की आंगणित मात्रा 8,58,793 घनमीटर में से सुरंग के निर्माण कार्य में उपयोगार्थ उपखनिज की मात्रा 4,29,398 घनमीटर उपयोगी मक को परियोजना कार्य में प्रयोग किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय अनुज्ञा शुल्क रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) ई-चालान संख्या 085300126E0014908, दिनांक 06.01.2026 निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1874/VII-1/2021/03(102)/2021, दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के अध्याय-तीन खनिजों का भण्डारण के नियम 8(6) में प्राविधानित है कि "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा परियोजना के निर्माण/टनल से निकले मक के चिन्हित भण्डारण हेतु प्रपत्र "एच-1" में आवेदक, निर्धारित आवेदक शुल्क रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार) सहित महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से निर्धारित प्रपत्र "एच-2" पर संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त की जायेगी:-

क्र.सं.	विवरण	पद
1.	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
2.	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
3.	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
4.	प्रमुख वन संरक्षक (HOEF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित स्तर का अधिकारी	सदस्य
5.	सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
6.	सम्बन्धित परियोजना के अभियन्ता (सिविल)	सदस्य

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्रों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन (Open Excavation) स्थल एवं रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।


निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी,
देहरादून।

Compliance Report for

**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

अतः उपमहाप्रबंधक (जा0) यू0जे0वी0एन0एल0, कार्यालय उपमहाप्रबंधक (जानपद), मुख्यालय मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़ के पत्र दिनांक 07.01.2026 की छायाप्रति मय संलग्नक इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार उक्त वर्णित पत्र में उल्लिखित क्षेत्र का तकनीकी समिति से स्थलीय निरीक्षण कराते हुए संयुक्त निरीक्षण आख्या मय अभिलेखों सहित निदेशालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि तदनुसार प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजपाल लेघा)
निदेशक

संख्या 6130 / उप0ख0(ईनि)-V / भू0खनि0नि0 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख वन संरक्षक (Hoef), उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद पिथौरागढ़।

7. उपमहाप्रबंधक (जा0) यू0जे0वी0एन0एल0, कार्यालय उपमहाप्रबंधक (जानपद), मुख्यालय मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़।

(राजपाल लेघा)
निदेशक

अधिसासी अभियन्ता (जानपद)
सि0भ्यो0रूप0परि0, यू0जे0वी0एन0एल0
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

SBI ePay Lite

Depositor Copy

Pre Acknowledgement Payment (PAP) Form for Payment through any SBI Branch

Date: 06-01-2026

Beneficiary/Remittance Details		
SBIePay Lite Reference No (formerly SBMOPS)	CPAGDFLYQ3	
Beneficiary:	The Directorate of Treasuries and Finance Services, Uttarakhand	
Merchant Reference No	08530126E0014908	
	Rs	P
Collection Amount	50000	00
Commission		000
Total (Fifty Thousand Rupees Only)	50000	00
Details of Cash / Cheques		
	Rs	p
Ch. no. - 291937 dt-02-01-2026	50 000	✓
SBI Pithoragarh	✓	
Total Rs fifty thousand only	50 000	✓

Instructions for Depositor: This is not an e-receipt.

(To be Filled in by the Bank)

Journal No.

Branch Name: _____

Branch Code:

Deposit Date:

Branch Stamp

Authorised Signatory




आधशासी अधिकारी (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि० यू०जे०वि०एन०लि०
मुनस्थारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

बिन्दु संख्या 17

Environment Clearance



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Impact Assessment Division)

To,

The Executive Engineer (Civil)
UJVN LTD
Executive Engineer (Civil), SBR Project
O/o GM(C-NP), UJVN Ltd, Ganga Bhawan, Yamuna Colony,
Dehradun, Dehradun, Uttarakhand-248001

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the Ministry vide proposal number IA/UK/RIV/130432/2019 dated 19 Jan 2021. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No.	EC25A003UK182103
2. File No.	J-12011/12/2015-IA.I
3. Project Type	New
4. Category	A
5. Project/Activity including Schedule No.	1(c) River Valley projects
6. Name of Project	Sirkari Bhyol Rupsiabagar HEP
7. Name of Company/Organization	UJVN LTD
8. Location of Project	Uttarakhand
9. TOR Date	20 Jan 2016

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 03/10/2025

(e-signed)
Y P Singh
Scientist E
IA - (River Valley and Hydroelectric
Projects sector)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

अधिकासी अशिकाता (जाणपद)
सि०भ्यो०रूप०परि० य०उ०नि०एन०लि०
मुनस्यारी, धिौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 18

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण के समय परियोजना विकासकर्ता (अभिकरण) वन विभाग द्वारा किये जाने वाले वानिकी कार्यो/परियोजनाओं हेतु निशुल्क जल आपूर्ति की जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड,
अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुन्स्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 19

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण के समय परियोजना विकासकर्ता (अभिकरण) द्वारा वनभूमि पर किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा एवं श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन की सुविधा प्रदान की जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड,

अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुन्स्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 20

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण के समय परियोजना विकासकर्ता (अभिकरण) द्वारा निर्माण सामाग्री के परिवहन हेतु वनों के भीतर किसी भी प्रकार का नया रास्ते एवं वैकल्पिक मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा।


अधिशासी अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड,
आदिशासी अभियन्ता (जानपद)
सि0भ्यो0रूप0परि0,यू0जे0वि0एन0लि0
मुन्स्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 21

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण में परियोजना विकासकर्ता (अभिकरण) द्वारा प्रत्यावर्तित की जाने वाली भूमि का सीमांकन कांक्रीट के चार फीट ऊंचे पिल्लरों से किया जायेगा एवं प्रत्येक पिल्लर में उसका नम्बर अंकित किया जायेगा।


अधिशायी अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड,
अभिशायी अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०,यू०जे०वि०एन०लि०
मुन्स्यारी, पिथौरागढ

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 23

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना की संरचनाओं का ले-आउट प्लान को बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति की बदला नहीं जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड,
अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुन्स्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 24

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि का प्रयोग परियोजना की संरचनाओं के निर्माण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।



अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड,
अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुन्स्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 25

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि को परियोजना विकासकर्ता (अभिकरण) द्वारा किसी भी अन्य विभाग, निर्माण इकाई अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड,
आधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुन्स्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 26

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण के समय परियोजना स्थल के निकटवर्ती क्षेत्रों के वनस्पति एवं जीव-जंतुओं को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचायी जायेगी। निकटवर्ती क्षेत्रों में क्षति को रोकने हेतु परियोजना विकासकर्ता द्वारा पर्याप्त उपाय किये जायेंगे।


अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड,
अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 28

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विकासकर्ता (अभिकरण) द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गयी सभी शर्तों की स्वतः अनुपालन रिपोर्ट प्रतिवर्ष मार्च के अंत तक राज्य सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता (जनपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड,

अभिशाली अभियन्ता (जनपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुन्स्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 29

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विकासकर्ता (अभिकरण) एवं राज्य सरकार जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि (29.997 हे०) के हस्तान्तरण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत शर्तों के अतिरिक्त वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में किये जाने वाले दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड,
अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 30

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विकासकर्ता (अभिकरण) जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के निर्माण के समय माननीय सर्वोच्च न्यायलय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना से सम्बन्धित नियम, अधिनियम, विनियम एवं दिशानिर्देशों, यदि कोई भी वर्तमान में लागू होता हो तो, उसका अनुपालन किया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड,
आभिसासी अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for


**Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025**

बिन्दु संख्या 31

—प्रमाण पत्र—

परियोजना का नाम— सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना के वन भूमि (संरक्षण एवं सर्वधन) अधिनियम 1980 एवं दिनांक 29.12.2023 को निर्गत वन भूमि (संरक्षण एवं सर्वधन) नियम, 2023 के दिशानिर्देशों एवं स्पष्टीकरण को किसी भी प्रकार का उल्लघन नहीं किया गया है।


अधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सिरकारी भ्योल—रूपसियाबगड परियोजना
यूजेवीएन लिमिटेड
आधिशाली अभियन्ता (जानपद)
सि०भ्यो०रूप०परि०, यू०जे०वि०एन०लि०
मुन्स्यारी, पिथौरागढ़

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkarihhyol Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

बिन्दु संख्या 04

सिविल भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड (120 मेगावाट) जल विद्युत परियोजना को सैद्धान्तिक वन स्वीकृति के दिनांक 23.06.2025 को निर्गत पत्र की शर्त संख्या 4 के अनुपालन में जिलाधिकारी, पिथौरागड द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्या 744/सात-05/2025-26 दिनांक 13.02.2026 एवं कार्यालय आदेश संख्या 813/सात-05/2025-26 दिनांक 05.02.2026 के द्वारा तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम साईं पोलू, साईं भाट एवं पातों में सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड (120 मेगावाट) जल विद्युत परियोजना के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 60.06 हेक्टर (दोगुना भूमि) का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करने का आदेश निर्गत किया गया है।

ग्राम पातों, पट्टी लीलम, तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागड गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 153 श्रेणी-9 (3) ड बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या 18 के खसरा संख्या 34 म0 रकबा 1.96, खसरा संख्या 127 म0 रकबा 0.691, खसरा संख्या 129 म0 रकबा 0.667 खसरा संख्या 131 म0 रकबा 0.201, खसरा संख्या 135 म0 रकबा 0.0144, खसरा संख्या, 145 म0 रकबा 2.758, खसरा संख्या, 157 म0 रकबा 0.075, खसरा संख्या, 180 म0 रकबा 1.38, खसरा संख्या, 198 म0 रकबा 0.539, खसरा संख्या, 425 म0 रकबा 0.436, खसरा संख्या, 729 म0 रकबा 1.001, खसरा संख्या, 731 म0 रकबा 1.359, खसरा संख्या, 831 म0 रकबा 1.239, खसरा संख्या, 959 म0 रकबा 1.068, खसरा संख्या, 1980 म0 रकबा 1.630, खसरा संख्या, 2007 म0 रकबा 0.003, खसरा संख्या, 2011 म0 रकबा 0.184, खसरा संख्या, 2032 म0 रकबा 0.866, खसरा संख्या, 2044 म0 रकबा 0.307, खसरा संख्या, 2045 म0 रकबा 1.249, खसरा संख्या, 2047 म0 रकबा 0.617, खसरा संख्या, 2073 म0 रकबा 0.927, खसरा संख्या, खसरा संख्या, 2082 म0 रकबा 0.569, खसरा संख्या, 2084 म0 रकबा 1.161, खसरा संख्या, 2087 म0 रकबा 0.105, खसरा संख्या, 2270 म0 रकबा 0.501, खसरा संख्या, 2276 म0 रकबा 0.115, खसरा संख्या, 2441 म0 रकबा 0.106, खसरा संख्या, 2448 म0 रकबा 0.178, खसरा संख्या, 2452 म0 रकबा 0.136, खसरा संख्या, 2564 म0 रकबा 0.006, खसरा संख्या, 2566 म0 रकबा 0.033, खसरा संख्या, 2568 म0 रकबा 1.232, खसरा संख्या, 2570 म0 रकबा 0.032, खसरा संख्या, 2580 म0 रकबा 1.374, खसरा संख्या, 2590 म0 रकबा 2.506, खसरा संख्या, 2598 म0 रकबा 1.925,

ग्राम साईं पोलो, पट्टी लीलम, तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागड गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 114 श्रेणी-9 (3) ड बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 4 म0 रकबा 0.204, खसरा संख्या 55 म0 रकबा 0.291, खसरा संख्या 57 म0 रकबा

वन विभाग
मुनस्यारी

Compliance Report for

Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkarihhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

0.146, खसरा संख्या 78 म० रकबा 0.256, खसरा संख्या 122 म० रकबा 0.179, खसरा संख्या 162 म० रकबा 0.448, खसरा संख्या 175 म० रकबा 0.447, खसरा संख्या 194 म० रकबा 0.106, खसरा संख्या 197 म० रकबा 0.195, खसरा संख्या 201 म० रकबा 0.202, खसरा संख्या 261 म० रकबा 0.383, खसरा संख्या 288 म० रकबा 0.275, खसरा संख्या 290 म० रकबा 0.252, खसरा संख्या 321 म० रकबा 0.202, खसरा संख्या 358 म० रकबा 0.240, खसरा संख्या 389 म० रकबा 0.101, खसरा संख्या 391 म० रकबा 0.477, खसरा संख्या 416 म० रकबा 0.067, खसरा संख्या 419 म० रकबा 0.398, खसरा संख्या 420 म० रकबा 0.357, खसरा संख्या 422 म० रकबा 0.398, खसरा संख्या 424 म० रकबा 0.425, खसरा संख्या 426 म० रकबा 1.826, खसरा संख्या 503 म० रकबा 0.185, खसरा संख्या 508 म० रकबा 0.43, खसरा संख्या 529 म० रकबा 0.176, खसरा संख्या 533 म० रकबा 0.808, खसरा संख्या 555 म० रकबा 0.106, खसरा संख्या 621 म० रकबा 0.362, खसरा संख्या 1105 म० रकबा 0.164, खसरा संख्या 1107 म० रकबा 0.272, खसरा संख्या 1110 म० रकबा 0.104, खसरा संख्या 1442 म० रकबा 0.205, खसरा संख्या 1444 म० रकबा 0.094, खसरा संख्या 1577 म० रकबा 0.236, खसरा संख्या 1698 म० रकबा 0.072, खसरा संख्या 1747 म० रकबा 0.184, 1755 म० रकबा 0.109, खसरा संख्या 1758 म० रकबा 0.075, खसरा संख्या 1826 रकबा 0.166, खसरा संख्या 1841 म० रकबा 0.194, खसरा संख्या 1844 म० रकबा 1.104, खसरा संख्या 1869 म० रकबा 0.045, खसरा संख्या 2003 म० रकबा 0.320, खसरा संख्या 2052 म० रकबा 0.526, खसरा संख्या 2061 म० रकबा 0.305, खसरा संख्या 2063 म० रकबा 2.507, खसरा संख्या 2088 म० रकबा 2.635

ग्राम साई भाट, पट्टी लीलम, तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागड गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 601 श्रेणी-9 (3) ड बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या 02 के खसरा संख्या 115 म० रकबा 0.245, खसरा संख्या 139 म० रकबा 0.203, खसरा संख्या 141 म० रकबा 0.438, खसरा संख्या 563 म० रकबा 0.524, खसरा संख्या 660 म० रकबा 0.335, खसरा संख्या 706 म० रकबा 0.345, खसरा संख्या 2903 म० रकबा 1.022, खसरा संख्या 2960 म० रकबा 3.183, खसरा संख्या 3071 म० रकबा 0.071, खसरा संख्या 3123 म० रकबा 0.049, खसरा संख्या 3126 म० रकबा 0.050, खसरा संख्या 3174 म० रकबा 0.074, खसरा संख्या 3286 म० रकबा 0.699, खसरा संख्या 4413 म० रकबा 0.454, खसरा संख्या 4491 म० रकबा 0.059, खसरा संख्या 4526 म० रकबा 0.086, खसरा संख्या 4549 म० रकबा 0.034, खसरा संख्या 4555 म० रकबा 0.015, खसरा संख्या 4556 म० रकबा 0.026, खसरा संख्या 4557 म० रकबा 0.014, खसरा संख्या 4558 म० रकबा 0.023, खसरा संख्या 4559 म० रकबा 0.026, खसरा संख्या 4570 म० रकबा 0.221, खसरा संख्या 4575 म० रकबा 0.093, खसरा संख्या 4798 म० रकबा 0.0501, खसरा संख्या 4805 म० रकबा 0.028,

Compliance Report for


Condition as laid down by MoEF&CC, GoI for Stage-II Clearance of Sirkaribhyol
Rupsiyabagar (120MW) HEP Vide Ref No - FP/UK/HYD/119861/2021 dated 23.06.2025

खसरा संख्या 4817 म0 रकबा 0.113, खसरा संख्या 4859 म0 रकबा 1.003, खसरा संख्या 6092 म0 रकबा 0.528, खसरा संख्या 6097 म0 रकबा 0.018, खसरा संख्या 6100 रकबा 0.124, खसरा संख्या 6105 म0 रकबा 0.074, खसरा संख्या 6130 म0 रकबा 0.078, खसरा संख्या 6198 म0 रकबा 0.189 खसरा संख्या 6560 रकबा संख्या 0.219, खसरा संख्या 6566 म0 रकबा 0.755, खसरा संख्या 6574 म0 रकबा 0.059, खसरा संख्या 6586 म0 रकबा 0.023, खसरा संख्या 6588 म0 रकबा 0.024, खसरा संख्या 6595 म0 रकबा 0.045, खसरा संख्या 6599 म0 रकबा 0.014, खसरा संख्या 6897 म0 रकबा 0.063, खसरा संख्या 6907 म0 रकबा 0.251, खसरा संख्या 6978 मा रकबा 0.488, खसरा संख्या 7080 मा रकबा 0.200, खसरा संख्या 7907 मा रकबा 0.526

इस प्रकार कुल तीन ग्रामों के तीन खातों की 134 खेतों की 60.06 हेक्टर भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिस क्रम में राजस्व उपनिरीक्षक दरकोटा लीलम द्वारा उक्त भूमि का अमलदरामद वन विभाग के नाम कर दिया गया है।

उक्त भूमि वन विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले ली गयी है। यह भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
मुनस्यारी
वन क्षेत्राधिकारी
मुनस्यारी


प्रभागीय वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभुषिकारी
पिथौरागढ़